न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्याः 1125 सन 2020

राज्य———————————— बनाम ————————————————शादाब

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर आप शादाब पर निम्न आरोप लगाता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 30.04.2019 को समय करीब 10.00 बजे स्थान कैलाश अस्पताल, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के निकट आपने अन्य के साथ अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय व ज्ञानपूर्वक आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर वादी दानिश अली खां के चाचा मौज्जम अली खां की गोली मारकर हत्या कारित की, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अन्य के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी दानिश अली खां व नवेद को जान से मारने की धमकी दी, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 506 सपठित धारा 34** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक एवं समय से पूर्व किसी स्थान पर आपने अन्य के साथ वादी के चाचा मौज्जम अली खां की हत्या का आपराधिक षडयंत्र रचा, जिसके क्रियान्वयन में उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अन्य के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर करके मौज्जम अली खां की हत्या कारित कर दी। इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 120—बी** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 11.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 11.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्याः 1125 सन 2020

राज्य————————— बनाम ————————————शादाब

अपराध संख्याः 252 सन 2019

धाराः 302,506,120बी भा0दं0सं0

थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 302/34, 506/34 व 120बी भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त शादाब पर जुर्म अन्तर्गत धारा 302/34, 506/34 व 120बी भा0दं0सं0 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.01.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 11.12.2020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1126 सन 2020

राज्य.................................   बनाम ....शादाब

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप शादाब पर निम्न आरोप लगाता हूँः–

यह कि दिनांक 13.03.2020 को समय 12.20 बजे दिन, शिकारपुर बाईपास, अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के निकट शीशम के पेड़ के नीचे पड़ी ईंटों के ढेर से पुलिस बल द्वारा आपकी निशानदेही पर मु0अ0सं0 252 सन 2019, धारा 302,506,120बी भा0दं0सं0 थाना खुर्जा नगर की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमन्चा नाजायज 315 बोर, जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था, बरामद किया गया, जिसे रखने का आपके पास कोई वैध अधिकारपत्र नहीं था, इस प्रकार आपने **आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 11.12.2020   अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 11.12.2020   अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1126 सन 2020

राज्य................................ बनाम ....शादाब

अपराध संख्याः 186 सन 2020

धाराः 3/25/27 आयुध अधिनियम

थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त शादाब पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.01.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 11.12.2020 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।